कनका बाई वि. सरकार

प्र. स. 62 /वाद/प्र.पत्र/ 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित /अनुपस्थित ... को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अत:प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 9/9/23 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।	
9/9/23 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित तथ्यों अनुसार वादीगण कनकाबाई, निर्मलाबाई, रमेशचन्द एवं मनभर बाई ने अपने नाम मे त्रुटी होने से नाम संशोधन हेतु निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे स्वयं वादीगण ने शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा से रिपोर्ट मौका मजमे आम साकिन देह ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं वाद पत्र मे अंकित तथ्यों तथा रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार वादीगण के नाम क्रमश: कनका बाई के स्थान पर कनकलता, निर्मलाबाई के स्थान पर निर्मला कुमारी जैन, रमेशचन्द के स्थान पर रमेशचन्द जैन एवं मनभर बाई के स्थान पर प्रेमलता जैन होना सही प्रतीत होता है। अत: वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि खाता सं. 96 संवत 2076 वाके ग्राम नोताडा मे वादीगण का नाम कनकाबाई उर्फ कनकलता, निर्मलाबाई उर्फ निर्मला कुमारी जैन, रमेशचन्द उर्फ रमेशचन्द जैन एवं मनभर बाई उर्फ प्रेमलता जैन खातेदार के रूप मे अंकित किया जावे। शेष इन्द्राज की प्रविष्टि यथावत रहेगी। डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	प्रेमलता निर्मला कनकलता

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 1
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.20 16:31:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

1. कनका बाई उर्फ कनकलता आयु 60 वर्ष पुत्री श्री चौथमल पत्नी पुरणमल जाति महाजन निवासी 148 नया बाजार लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. मनभर बाई उर्फ प्रेमलता जैन आयु 72 वर्ष पुत्री श्री चौथमल पत्नि श्रवण कुमार जाति महाजन नि0 न्यू कोलोनी, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
3. निर्मला बाई उर्फ निर्मला कुमारी जैन आयु 50 वर्ष पुत्री श्री चौथमल पत्नि श्री निर्मल कुमार जैन जाति महाजन नि0 ग्राम डाबी तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
4. रमेशचन्द उर्फ रमेशचंद जैन आयु 66 वर्ष आत्मज श्री चौथमल जाति महाजन निवासी हाउस नं0 18 न्यू कोलोनी बून्दी

......वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

...प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89,188, धारा 209 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

62/दावा/2022 (2022/127)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू बहहाजरी श्री नन्द सिंह सोलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि खाता संख्या 96 संवत 2076 वाके ग्राम नोताडा मे वादीगण का नाम कनका बाई उर्फ कनकलता, निर्मला बाई उर्फ निर्मला कुमारी जैन, रमेशचन्द उर्फ रमेशचन्द जैन एवं मनभर बाई उर्फ प्रेमलता जैन खातेदार के रूप मे अंकित किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नीज.............................. मुबलिक.................................. बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह......................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफरिक मीजान			मुतफ[illegible]		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख ..... म[illegible]... वर्ष 2023 को जारी की गई।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.20 16:31:56 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा